न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः–73/2019
जी सी एम एस न0 2019/00138

दर्ज दिनांक 14.03.2019
निर्णय दिनांक 17.01.2023

1. श्रवणी देवी पत्नी शंकरलाल उम्र 35 वर्ष जाति कीर निवासी खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर
2. ज्ञाना देवी पत्नी श्री रोहिताश उम्र 45 वर्ष जाति कीर निवासी ग्राम कीरपुा तन केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदिकागण

बनाम

1. प्रभू पुत्र खांगा फौत
   1/1 प्रभाती पत्नी प्रभू
   1/2 ओमप्रकाश पुत्र प्रभू
   1/3 राजेन्द्र पुत्र प्रभू
   1/4 सजना पुत्री प्रभू
2. भूमि धारक तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

समस्त जाति कीर निवासीगण ग्राम ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश

निर्णय

दिनांक 23.01.2023

आवेदिकागण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि उनवानी श्रवणी देवी वगै. बनाम प्रभु वगै. बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। प्रार्थियागण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि ग्राम ककराना के हाल भूमि खसरा न. 75 रकबा 1.01 है0 भूमि अवस्थित है, जिसे प्रार्थना पत्र में विभाजन योग्य भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त भूमि में आवेदिकागण का हिस्सा 0.22 है0 तथा अनावेदक संख्या 1 का हिस्सा 0.33 है0, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 0.33 है0 प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 0.11 है0, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 0.02 है0 भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है। राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सेनुसार मौके पर काबिज है। शामलाती राजस्व रिकॉर्ड की भूमि होने के कारण आवेदिकागण व अनावेदक संख्या 1 व प्रतिवादीगण के मध्य सीमाओं को लेकर काफी विवाद होता है। आवेदिकागण अपने हिस्से की भूमि का किस्म रूपान्तरण भूमि में आवश्यक सुधार करने में काफी परेशानी आती है। आवेदिकागण अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाना चाहती है। आवेदिकागण के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र खांगा द्वारा जरिये दान–पत्र आवेदिकागण को भूमि दी गई है, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेपुनसार आवेदिकागण मौके पर काबिज है परन्तु आवेदिकागण ससुराल में रहती है जिस कारण पीछे से अनावेदिकागण नम्बर 1 जबरन मौके पर भूमि पर कब्जा करने की नियत रखता है, आवेदिकागण की हिस्से की भूमि पर पत्थर आदि डाल दिए हैं, ऐसा कृत्य करने का अधिकार अनावेदक संख्या 1 को नहीं है। इसलिए अनावेदक संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम ककराना के हाल भूमि खसरा न. 75 रकबा 1.01 है0 में आवेदिकागण के हम व हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, ना ही कोई नया निर्माण करें ऐसा कृत्य ना ही तो स्वयं करे, ना ही अपने अधीनस्थ कर्मचारी इत्यादि से ही करवाये तादौराने वाद [illegible] मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/3, 1/4 व अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामिल हाजिर नही अत उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा अप्रार्थी संख्या 1/2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश ना करके सीधे बहस की गई।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थियागण के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि भूमि खसरा न. 75 रकबा 1.01 है0 में आवेदिकागण का हिससा 0.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:44:37 IST
Reason: SelfAttested

है0 तथा अनावेदकगण न0 1 का हिसा 0.33 है0 प्रतिवादी न0 2 व 3 का हिस्स 0.33 है0 प्रतिवादी न0 4 का हिस्सा 0.11 है0 प्रतिवादी न0 5 का हिस्सा 0.02 है0 भूमि है जो राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज है आवेदिकागण व अनावेदक संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की पैत्रिक भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड के हिस्सेनुसार मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है। शामलाती राजस्व रिकॉर्ड की भूमि होने के कारण आवेदिकागण व अनावेदक संख्या 1 व प्रतिवादीगण के मध्य सीमाओं को लेकर काफी विवाद होता है। आवेदिकागण अपने हिस्से की भूमि का किस्म रूपान्तरण, भूमि में आवश्यक सुधार करने में काफी परेशानी है। अनावेदक संख्या 1 जबरन आवेदिकागण के हिस्से की भूमि पर पत्थर आदि डाले दिए हैं ऐसा कृत्य करने करने का अधिकार अनावेदक संख्या 1 को नहीं है इसलिए अनावेदक संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि अनावेदकगण अपनी मंशा में सफल होता है तो आवेदिकागण को काफी अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं होगी। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना प्रार्थनीय है। बहस में अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि केवल हैरान व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है हमारे हिस्से का विभाजन कर दिया जावे अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकुक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदिकागण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थियागण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम ककराना के हाल भूमि खसरा न. 75 मे आवेदिकागण के हिस्से में दखल ना करे तथा ना ही निर्माण करे।

23/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 23.01.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:44:37 IST
Reason: SelfAttested